राजस्व वाद संख्या 102/2020
उनवानी धर्मपाल आदि बनाम कैम्ब्रिज शिक्षा समिति आदि
निर्णय दिनांक 01.04.2022
GCMS NO. 2020/00285

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **102/2020**

1. धर्मपाल पुत्र बूजनराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. शीशराम पुत्र बूजनराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

...........वादीगण

– ब ना म –

1. कैम्ब्रिज शिक्षा समिति सिमनी जरिये सचिव अनिता देवी पत्नी रहीश कुमार जाति अहीर निवासी पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. जगतसिंह पुत्र जीताराम **(फौत)**
   2/1. सावित्री देवी पत्नी जगत सिंह
   2/2. राकेश पुत्र जगतसिंह
   2/3. पूनम पुत्री जगतसिंह
   2/4. सुमन पुत्री जगतसिंह
3. भूपसिंह पुत्र जीताराम
4. लीलाधर पुत्र जीताराम
5. विनोद कुमार पुत्र जीताराम
6. विजय कुमार पुत्र सम्पतराम
7. दिनेश पुत्र लक्ष्मीचन्द
8. विमला देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीचन्द
   समस्त जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. विजय सिंह पुत्र हुक्मीचन्द
10. रमेश देवी पत्नी संदीप
11. नीतेश पुत्र संदीप
12. शिवओम पुत्र संदीप
    समस्त जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा [illegible] जरिये शाखा प्रबंधक।
14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक।
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

राजस्व वाद संख्या 102/2020
उनवानी धर्मपाल आदि बनाम कैम्ब्रिज शिक्षा समिति आदि
निर्णय दिनांक 01.04.2022
GCMS NO. 2020/00285

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार
2. श्री मनु यादव – अभिभाषक – वादीगण
3. श्री अशोक कुमार यादव – अभिभाषक – प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12

दिनांक :–01–04–2022

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. वाके ग्राम **सिवनी** तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हेक्टेयर किता 3 रकबा 1.38 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 7/288 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 का 7/288 हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 1 व 2 की मृतक माता व प्रतिवादी संख्या 9 की दादी, प्रतिवादी संख्या 10 की दादसास व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की पड़दादी जमना देवी पत्नी बुजनराम का 1/18 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. वाके ग्राम **सिवनी** तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.61 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.41 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0. 85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.92 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 219/130 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.43 हेक्टेयर किता 8 रकबा 5.75 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 26/575 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 263/6900 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 311/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 व 247/6900 कुल 707/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 707/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 1/15 व 247/6900 कुल 707/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, [illegible] संख्या 12 का 7/288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 7/288 [illegible] माता, प्रतिवादी संख्या 9 की हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 1 व [illegible] प्रतिवादी संख्या 11 व 12 दादी, प्रतिवादी संख्या [illegible] मृतक दाद[illegible] का हिस्सा 1/18 दर्ज रिकार्ड की मृतक पड़दादी जमना देवी [illegible] है।
3. वाके ग्राम **सागा** तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

हेक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 4.14 हेक्टेयर किता 4 रकबा 5.09 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/180 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/40 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

4. वाके ग्राम सिवनी व सागा की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 अपना अपना हिस्सा अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज काश्त है तथा मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपनी अपनी भूमि को समतल कर सुधार कार्य कर रखे है।

5. वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 की मृतक माता, प्रतिवादी संख्या 9 की मृतक दादी, प्रतिवादी संख्या 10 की मृतक दादसास तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की मृतक पड़दादी जमना देवी पत्नी बूजनराम का जमाबन्दी संवत 2073–2078 में 1/12 हिस्सा था। मृतक जमना देवी ने अपने जीवन काल में अपने हिस्सा 1/12 भाग में से वादी संख्या 1 व 2 के हक में 2/3 भाग का पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 को तस्दीक करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 9 के हक में अपना हिस्सा 1/12 भाग में से 1/6 भाग का पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 को तस्दीक करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के हक में जमना देवी ने अपने 1/12 भाग में से 1/6 भाग का पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 को तस्दीक करवा दिया था। मृतक जमना देवी द्वारा करवाये गये हकत्याग विलेखों में से प्रतिवादी संख्या 9 के नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 06.08.2019 के द्वारा जमना देवी का 1/12 हिस्सा में से 1/6 भाग की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के हक में भी जमना देवी ने अपने 1/12 हिस्सा में से 1/6 भाग का हकत्याग विलेख का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया लेकिन मृतक जमना देवी ने अपने 1/12 हिस्सा में से 2/3 भाग का हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 को वादी संख्या 1 व 2 के हक में करवाया था उसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि वादी संख्या 2 ने वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि में अपना हिस्सा 1/12 भाग सम्पूर्ण तथा वाद पत्र के खण्ड नम्बर 2 में वर्णित भूमि में अपना हिस्सा 1/12 भाग में से 26/575 भाग भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तस्दीक करवा दिया और उसका नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। [illegible] वर्णित भूमि में से वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा सम्पूर्ण प्रति[illegible] 1 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने पर तथा [illegible] रिकार्ड से हजफ हो जाने से तथा मृतक जम[illegible] 12 हिस्सा में से 2/3 भाग का हकत्याग विलेख वादी [illegible] में एक ही दस्तावेज होने से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

6. वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का 1/12, 1/36 कुल 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 7/288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 7/288 हिस्सा घोषित किया जाकर जमना देवी पत्नी बूजनराम का हिस्सा 1/18 हजफ किया जाकर दुरूस्त किये जाने योग्य है।

7. वाद पत्र के खण्ड नम्बर 2 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का 1/12, 1/36 कुल 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 263/6900, 1/36 कुल 1023/15525 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 26/575 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 311/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15, 247/6900 कुल 707/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/15, 247/6900 कुल 707/6900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 7/288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 7/288 हिस्सा घोषित किया जाकर जमना देवी पत्नी बूजनराम का हिस्सा 1/18 हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है।

8. वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर वाद वर्णित भूमि का विभाजन कर रखा है। वादीगण सम्पूर्ण भूमि ग्राम सिवनी में उनके कब्जा में है जिसमें वादीगण ने मकान बनाकर सुधार कार्य कर रखे है तथा जो भूमि बेचान की है वह भी गांव सिवनी में ही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी मकान आदि बना रखे है तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 लगायत 12 ने भी मकान आदि बनाकर सुधार कार्य कर रखा है।

9. वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 के नाम अपनी माता जमना देवी पत्नी बूजनराम के द्वारा करवाये गये पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा वाद वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 का खाता संयुक्त रहने से वादीगण को सीमायें कायम करने, सुधार कार्य करने, रहन, बेचान, गिरवी करने आदि में भारी ऐसी अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

10. दावा के लिए आधार विवाद वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 की माता जमना देवी पत्नी [illegible] करवाये गये पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 27.03.2018 का वादी संख्या [illegible] नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के कारण तथा वाद [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का खाता संयुक्त [illegible] तथा वादीग[illegible] प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने एक साथ एकत्रि[illegible] वैसे भी दावा घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन के [illegible] कानून में कोई मियाद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

इसलिए वादीगण को यह दावा श्रीमान् जी समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद है।

11. वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम सिवनी व सागा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान् जी के हदूद में है। इसलिये यह दावा सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान् जी को प्राप्त है।

12. वाद वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 13 से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने ऋण ले रख है तथा प्रतिवादी संख्या 14 से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने ऋण ले रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 15 लैण्ड होल्डर होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

13. दावा घोषणात्मक के लिए 1 रूपये रिकार्ड दुरूस्ती के लिए 1 रूपये तथा खाता विभाजन के लिये 1 रूपये कोर्ट फीस नियत है। अतः दावा कुल 3 रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् जी की सेवा में पेश है।

14. विवादित भूमि का अपडेट रिकार्ड पेश किया है। वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है तथा दावा दोहरी प्रति में पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) वाके ग्राम **सिवनी** स्थित भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हेक्टेयर किता 3 रकबा 1.38 हेक्टेयर में जमना देवी पत्नी बूजनराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने व ग्राम **सिवनी** स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.61 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.41 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.92 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 219/130 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.43 हेक्टेयर किता 8 रकबा 5.75 हेक्टेयर में वादीगण की माता जमना देवी पत्नी बूजनराम का नाम हजफ कर वादी संख्या 1 को 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1023/15525 हिस्सा का खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

(ख) वाके ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हेक्टेयर किता 3 रकबा 1.38 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा का खाता विभाजित कर प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 [illegible] 18 हिस्सा का खाता तथा ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.61 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.41 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 219/130 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.92 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.43 हेक्टेयर किता 8 रकबा 5.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, मुहाना

हेक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1023/15525 हिस्सा का खाता विभाजित कर व प्रतिवादी संख्या 1 का 26/575 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा का खाता विभाजित किया जावे तथा ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.85 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 4.14 हेक्टेयर किता 4 रकबा 5.09 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा का खाता विभाजित किया जाकर वादी संख्या 1 का कुल रकबा 1.3576 हेक्टेयर, वादी संख्या 2 का रकबा 0.9927 हेक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 का रकबा 0.3750 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 का रकबा 0.6787 हेक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का संयुक्त रकबा 0.6787 हेक्टेयर भूमि का खाता कब्जे काश्त अनुसार प्राथमिकता देते हुये सम्पूर्ण भूमि ग्राम सिवनी में देते हुये विभाजन कर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करें।

(ग) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसका वाजिब हकदार हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने की कृपा करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नकल वाद पत्र भेजकर तारीख की सूचना दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 बैंक पक्ष है जिनके यहां से पक्षकारान ने ऋण ले रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 15 सरकार पक्ष है। प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अनुतोष प्रतिदावा प्रतिवादी :–

1. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5, 7 व 8 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकारते हुये प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित भूमि स्थित राजस्व ग्राम सिवनी व सागा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5 के हिस्से की भूमि का अलग–अलग व प्रतिवादी संख्या 7, 8 के हिस्से की भूमि संयुक्त रखते हुये अलग अन्य खातेदारों से अलग खाता विभाजित किया जावे तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 9, 10 [illegible] 12 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकारते हुये प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि वाद [illegible] स्थित राजस्व ग्राम सिवनी व सागा में राजस्व रिकार्ड [illegible] अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 के हिस्से की भूमि का [illegible] प्रतिवादी [illegible] 10 लगायत 12 के हिस्से की भूमि संयुक्त रखते हुये [illegible] खाता विभाजित किया जावे। खाता विभाजन के दौरान वाद वर्णित [illegible] उनके हिस्से में ग्राम सिवनी में दी जावे तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकारते हुये प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित भूमि स्थित राजस्व ग्राम सिवनी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का अलग अन्य खातेदारों से अलग खाता विभाजित किया जावे। खाता विभाजन के दौरान वाद वर्णित भूमि उनके हिस्से में ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हेक्टेयर विभाजन में दी जावे तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

4. प्रतिवादी संख्या 6 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकारते हुये प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित भूमि स्थित राजस्व ग्राम सिवनी व सागा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 के 1/6 हिस्से की भूमि का अलग अन्य खातेदारों से अलग खाता विभाजित किया जावे व वाके ग्राम सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 124, 48, 91 किता 3 रकबा 1.38 हेक्टेयर भूमि में प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 6 का नाम विजयसिंह पुत्र सम्पतराम के स्थान पर विजय कुमार पुत्र सम्पतराम दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के प्रतिदावा को स्वीकारते हुये उनके द्वारा वांछित अनुतोष स्वीकार कर उनका प्रतिदावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या नया 43 राजस्व ग्राम सिवनी, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या नया 29 राजस्व ग्राम सिवनी, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या नया 59 राजस्व ग्राम सागा, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या नया 21, 22 राजस्व ग्राम सिवनी, नकल नामान्तरकरण संख्या 246/15.01.2019, 254/14.06.2019 एवं 256/06.08.2019 राजस्व ग्राम सिवनी तहसील बुहाना, छाया प्रति हकत्याग विलेख पत्र क्रमांक 20180116600677 दिनांक 27.03.2018 उप पंजीयक बुहाना पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या 1 स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 11.08.2020 पेश किया।

पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र एवं प्रतिदावा पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का मुख्य अनुतोष :–

वादीगण का उक्त वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह रहा है कि वादीगण की मृतक माता जमना देवी [illegible] ने वाके ग्राम सिवनी के खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर क्रमशः 1, 18, 19, 97, 130 [illegible] /130, किता 8 रकबा 5.75 हेक्टेयर में अपना हिस्सा [illegible] 2/[illegible] भाग व खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर क्रमशः 48, 91, 124 किता 3 रकबा 1.3[illegible] अपना हिस्सा 1/12 भाग में से 2/3 भाग भूमि हकत्याग विलेख पत्र [illegible] 20180116600677 दिनांक 27.03.2018 से वादीगण के पक्ष में हकत्याग की थी [illegible] नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

नहीं हुआ है। हकत्याग विलेख पत्र संख्या 20180116600677 दिनांक 27.03.2018 से वादीगण के पक्ष में हकत्याग की गई भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व ग्राम सिवनी व सागा स्थित वादवर्णित भूमि का वादीगण का उनके हिस्से की भूमि का खाता विभाजन अलग से कायम कर लगान अलग कायम किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण की मृतक माता जमना देवी पत्नी बूजनराम द्वारा वाके ग्राम सिवनी के खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर क्रमशः 1, 18, 19, 97, 130, 155, 156, 219/130, किता 8 रकबा 5.75 हेक्टेयर में अपना हिस्सा 1/12 भाग में से 2/3 भाग की भूमि व खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर क्रमशः 48, 91, 124 किता 3 रकबा 1.38 हेक्टेयर में अपना हिस्सा 1/12 भाग में से 2/3 भाग की भूमि जो हकत्याग विलेख पत्र संख्या 20180116600677 दिनांक 27.03.2018 से वादीगण के पक्ष में हकत्याग की थी, राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई है। मृतक जमना देवी पत्नी बूजनराम द्वारा हकत्याग की गई भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में मृतका के नाम जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता संख्या नया 43, 29 राजस्व ग्राम सिवनी में हिस्सा 1/18, 1/18 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व ग्राम सिवनी की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या नया 43 में विजयसिंह पुत्र सम्पतराम व खाता संख्या नया 29 में विजयकुमार पुत्र सम्पतराम तथा राजस्व ग्राम सागा की भूमि जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या नया 59 में विजयकुमार पुत्र सम्पतराम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व ग्राम सिवनी की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या नया 43 में भी विजयसिंह पुत्र सम्पतराम के स्थान पर विजयकुमार पुत्र सम्पतराम दुरूस्त करवाना चाहता है।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 02.11.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता उभय पक्षकरान तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी [illegible] त 12 का प्रतिदावा स्वीकार कर राजस्व ग्राम सिवनी तह[illegible] 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 124, 48, 91, 01, 130, 155, 156, 18, 19, 2[illegible] 130, 97 व ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नबर 282, 397, 398, [illegible] भूमि का खाता [illegible] लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 102 / 2020
उनवानी धर्मपाल आदि बनाम कैम्ब्रिज शिक्षा समिति आदि
निर्णय दिनांक 01.04.2022
GCMS NO. 2020/00285

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. धर्मपाल पुत्र बूजनराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. शीशराम पुत्र बूजनराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

...........वादीगण

– ब ना म –

1. कैम्ब्रिज शिक्षा समिति सिमनी जरिये सचिव अनिता देवी पत्नी रहीश कुमार जाति अहीर निवासी पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. जगतसिंह पुत्र जीताराम **(फौत)**
   2/1. सावित्री देवी पत्नी जगत सिंह
   2/2. राकेश पुत्र जगतसिंह
   2/3. पूनम पुत्री जगतसिंह
   2/4. सुमन पुत्री जगतसिंह
3. भूपसिंह पुत्र जीताराम
4. लीलाधर पुत्र जीताराम
5. विनोद कुमार पुत्र जीताराम
6. विजय कुमार पुत्र सम्पतराम
7. दिनेश पुत्र लक्ष्मीचन्द
8. विमला देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीचन्द
   समस्त जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. विजय सिंह पुत्र हुक्मीचन्द
10. रमेश देवी पत्नी संदीप
11. नीतेश पुत्र संदीप
12. शिवओम पुत्र संदीप
    समस्त जाति अहीर निवासी सिवनी [illegible] जिला झुन्झुनूं (राज.)
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक [illegible] जरिये शाखा प्रबंधक।
14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा [illegible] शाखा प्रबंधक।
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झु[illegible] (राज.)

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

राजस्व वाद संख्या 102/2020
उनवानी धर्मपाल आदि बनाम कैम्ब्रिज शिक्षा समिति आदि
निर्णय दिनांक 01.04.2022
GCMS NO. 2020/00285

दावा बाबत :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी. एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

मुकदमा नम्बर :– 102/2020

निर्णय दिनांक :– –01.04.2022

वादीगण की ओर से **श्री राजेश कुमार व श्री मनु यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01.04.2022** को **सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का प्रतिदावा स्वीकार कर राजस्व ग्राम सिवनी तहसील बुहाना जमाबन्दी संवत 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 124, 48, 91, 01, 130, 155, 156, **18**,19, 219/130, 97 व ग्राम सागा स्थित भूमि खसरा नबर 282, 397, 398, 399 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1लगायत ब–2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।**"**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **01.04.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested